भारत में फांसी के ये हैं चर्चित मामले

निर्भया मामले में दोषियों को फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी कर दिया गया है। चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी दी जाएगी। भारत में फांसी के मामले बहुत ज्यादा नहीं हैं। देश में फांसी की सजा बेहद दुर्लभ मामलों में ही दी जाती है। बावजूद इसके कुछ जघन्य अपराध ऐसे थे, जिन्होंने देश को झकझोर कर दिया था। इन्हीं में से एक मामला निर्भया का है। फांसी के ऐसे कई अन्य मामले भी हैं जिनकी बरसों बाद आज तक चर्चा की जाती है। इन्हीं में कुछ मामलों से हम आपको अवगत करा रहे हैं।

याकूब मेमन

पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट याकूब मेमन को 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए बम धमाकों का दोषी पाया गया। मेमन को 30 जुलाई 2015 को फांसी दी गई। उसकी फांसी रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रात के तीन बजे सुनवाई हुई थी। हालांकि इसके बाद भी कोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा। मुंबई धमाकों में 257 लोग मारे गए थे और करीब सात सौ लोग घायल हुए थे। यह धमाके शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में हुए थे।

अफजल गुरु

अफजल गुरु को दिल्ली की तिहाड़ जेल में 9 फरवरी 2013 को फांसी दी गई। भारत की संसद पर हमले में अफजल गुरु की भी भूमिका थी। उसने स्वीकार किया था कि वह तीन महीने की हथियारों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान गया था। अफजल गुरु सोपोर का रहने वाला था। 13 दिसंबर 2001 को देश की संसद पर पांच आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले में आतंकियों सहित 14 लोग मारे गए थे और 16 घायल हुए थे। हमले में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मुहम्मद की भूमिका सामने आई थी। अफजल गुरु का शव तिहाड़ में दफन किया गया।

अजमल कसाब

लश्कर ए तैयबा के आतंकी आमिर अजमल कसाब को 21 नवंबर 2012 को मुंबई की यरवडा जेल में फांसी दी गई। 26 नवंबर 2008 को कसाब और उसके 10 साथियों ने मुंबई के पांच प्रमुख स्थानों पर हमला किया था। इस हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी और करीब 300 लोग घायल हुए थे। हमलावरों में से कसाब को जिंदा पकड़ा गया था। वह पाकिस्तानी का रहने वाला था।

मकबूल बट

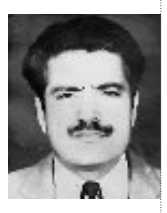

कश्मीरी अलगाववादी नेता मकबूल बट को हत्या के मामले में 11 फरवरी 1984 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। वह आतंकी संगठन नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संस्थापक था। फांसी की सजा मिलने के बाद कई आतंकी संगठनों ने उसे छुड़वाने की कोशिशें की। यहां तक की एक विमान अपहरण की भी साजिश रची लेकिन वह उसे छुड़ाने में नाकाम रहे। मकबूल बट का शव तिहाड़ जेल में ही दफन है।

धनंजय चटर्जी

धनंजय चटर्जी को कोलकाता की अलीपोर सेंट्रल जेल में 14 अगस्त 2004 को फांसी दी गई थी। कोर्ट ने धनंजय को दक्षिणी कोलकाता के एक अपार्टमेंट में 5 मार्च 1990 को किशोरी से दुष्कर्म और हत्या का दोषी माना। धनंजय उस अपार्टमेंट में सुरक्षा गार्ड था। हत्या के बाद वह फरार हो गया था। धनंजय ने दया याचिका भी दी लेकिन इसे खारिज कर दिया गया।

फिर शुरू होगा फांसी का ट्रायल

बढ़ी हलचल ▶ 2013 में अफजल को फांसी के बाद से फांसी घर नवंबर 2019 तक बंद था

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

निर्भया के दोषियों के नाम डेथ वारंट जारी होने के साथ ही जेल प्रशासन के लिए तिहाड़ जेल संख्या 3 महत्वपूर्ण बन गया है। यहां के सभी जेलों में जेल संख्या तीन ही है, जिसमें दोषियों को फंदे पर लटकाया जाता है। इस जेल में एक खुले अहाते में ही फांसी घर बना हुआ है। नवंबर में जेल प्रशासन की ओर से निर्भया के दोषियों के नाम जारी नोटिस के बाद से ही फांसी घर में हलचल शुरू हो गई थी। यहां सिविल से जुड़े कार्य को अंतिम रूप पहले ही दिया जा चुका है। दिसंबर में यहां कई बार फांसी का ट्रायल भी किया गया। इस दौरान डमी को लटकाया गया। अब डेथ वारंट जारी होने के बाद फांसी की प्रक्रिया का ट्रायल एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। जेल अधिकारियों का कहना है कि 2013 में आतंकी अफजल को फांसी होने के बाद से यह फांसी घर नवंबर 2019 तक बंद था।

एक साथ लटकाए जाएंगे चारों दोषी : फांसी घर जमीन से 12 फीट ऊपर चारदीवारी से घिरा एक कुएं के आकार का ढांचा होता है, जिसके ऊपर कंक्रीट की छत बनी होती है। छत के बीच के हिस्से में 12-12 फीट लंबा दो तख्त होता है। छत के दोनों ओर लोहे के दो खंभे होते हैं, जो लोहे की एक पाइप से जुड़ी होती है। इसी पाइप पर फंदा बनाया जाता है। इसके किनारे एक लीवर लगा होता है, जिसे दबाने से दोनों तख्त एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं और जिस व्यक्ति को फंदा लगाया जाता है, वह छत के नीचे लटक जाता है। जेल सूत्रों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग की ओर से फांसी घर में बने तमाम ढांचों को दुरुस्त कर दिया गया है। यूं तो फांसी घर में एक बार दो दोषियों को फंदे पर लटकाने का इंतजाम है, लेकिन निर्भया के चार दोषियों को देखते हुए फांसी घर की संरचना में फेरबदल किया गया है।

नहीं चला पवन का 'नाबालिग' पैंतरा

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली : 2012 में वारदात के दौरान नाबालिग होने का दावा करते हुए निर्भया केस में दोषी पवन कुमार गुप्ता की तरफ से दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। 19 दिसंबर 2019 को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैट की पीठ ने रिकॉर्ड पर लिया था कि पवन कुमार ने नाबालिग होने का दावा इससे पहले पुनर्विचार याचिका में भी किया था और सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई 2018 को इस याचिका को खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं पीठ ने अदालत का समय बर्बाद करने के लिए दोषी के वकील पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

पवन कुमार ने याचिका में दावा किया कि उसके स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार उसका जन्म 8 अक्टूबर 1996 को हुआ था और घटना के दौरान वह नाबालिग था। ऐसे में उसे नाबालिग होने का लाभ मिलना चाहिए। हालांकि, पुलिस की वेरिफिकेशन रिपोर्ट के अनुसार उसके पिता ने कहा था कि पवन का जन्म 17 जुलाई 1992 को हुआ था। इसका मतलब यह है कि 16 दिसंबर 2012 को वह 18 साल का था। याचिका में दोषी पवन कुमार ने आरोप लगाया कि जांच अधिकारियों द्वारा उनकी हड्डी का परीक्षण नहीं किया गया था।

जल्लाद तैयार, सिर्फ बुलावे का इंतजार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : निर्भया कांड के चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी देने के लिए उत्तर प्रदेश जेल प्रशासन ने मेरठ के पवन जल्लाद को रिजर्व कर दिया है।

निर्भया कांड के दोषी मुकेश सिंह, अक्षय, पवन और विनय शर्मा को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। ऐसे में लगभग तय है कि मेरठ निवासी पवन जल्लाद इस काम के लिए बुलाए जाएं। नौ दिसंबर को तिहाड़ जेल प्रशासन ने उप्र के जेल महानिदेशक आनंद कुमार को पत्र लिखकर जल्लाद के संबंध में जानकारी मांगी थी।

यहां से जवाब में बताया गया कि उप्र में दो जल्लाद हैं। एक लखनऊ के हैं और दूसरे मेरठ के पवन। डीजी जेल आनंद कुमार ने बताया कि उस पत्र के बाद अभी कोई रिमाइंडर तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से नहीं आया है लेकिन, हमने तैयारी कर ली है।

निर्भया के गुनहगार

मुख्य आरोपित

नाम-राम सिंह निवासी दिल्ली
काम-बस चालक
मौत हो चुकी है (तिहाड़ जेल संख्या 3 में 11 मार्च 2013 को खुदकशी कर ली)

नाम- मुकेश कुमार निवासी दिल्ली
काम- ड्राइवर कम हेल्पर
नोट : राम सिंह का भाई है, दोनों साथ रहते थे। घटना के समय यही बस को चला रहा था।

नाम- अक्षय कुमार सिंह वर्तमान निवासी दिल्ली, मूल निवासी- औरंगाबाद, बिहार
काम- बस पर हेल्पर

नाम- पवन गुप्ता निवासी दिल्ली
काम- फल विक्रेता

नाम- विनय शर्मा निवासी दिल्ली
काम- जिम में हेल्पर

नाबालिग
पता-दिल्ली में स्थायी ठिकाना नहीं, बदायूं (उप्र) का रहने वाला है।
काम- बस का क्लीनर
नोट :-यह वारदात के समय 17 साल छह महीने 11 दिन का था, बालिग होने के बाद उसे 31 अगस्त को बाल न्यायालय से हत्या में अधिकतम 3 साल की सजा सुनाई थी। सजा काटने के बाद दिसंबर 2015 में उसे रिहा कर दिया गया।

...वो 16 दिसंबर 2012 की काली रात

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

16 दिसंबर 2012, रविवार का दिन। शाम को साकेत स्थित सेलेक्ट सिटी मॉल में दोस्त के साथ 'लाइफ ऑफ पाई' मूवी देखने के बाद 23 वर्षीय फीजियोथेरेपिस्ट छात्रा (पीड़िता) और उसका दोस्त ऑटो से रात 9 बजे मुनीरिका आ गए थे। यहां बस स्टैंड के पास खड़े होकर दोनों बस का इंतजार कर रहे थे। तभी 9.15 बजे आइआइटी की तरफ से सफेद रंग की लग्जरी बस इनके पास आकर रुक गई। बस में आगे के शीशे पर ऊपर व नीचे पीले रंग की पट्टी थी और साइड में यादव लिखा हुआ था। बस के परिचालक ने महिपालपुर, धौलाकुआं, द्वारका की आवाज लगानी शुरू कर दी थी। दोनों की नजर जब बस की तरफ पड़ी तब परिचालक ने बहन जी कहते हुए उन्हें बस में आ जाने को कहा था। उनके बस में सवार होते ही परिचालक ने दरवाजा बंद कर दिया। अंदर दोनों ने देखा कि बस में चालक समेत छह लोग सवार थे। किराया वसूलने के बाद एक दोषी ने पीड़िता के दोस्त से कहा था कि वह इतनी रात को लड़की को लेकर कहां जा रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि उसे क्या मतलब है। इसी पर बहस शुरू हुई थी। दोषियों ने पीड़िता से छेड़खानी शुरू कर दी। विरोध पर एक ने रॉड से पीड़िता के दोस्त के सिर पर वार कर घायल कर दिया और उसे पीछे की सीट पर ले जाकर दरिंदों ने जब उसकी अस्मत लूटनी शुरू की तब घायल होकर भी उसने अपने दोस्त को बचाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन उसे युवती तक आने नहीं दिया गया। दो आरोपितों ने उसे पकड़ कर बस के अंदर नीचे गिरा कर पिटाई करते रहे। उधर, दोस्त की पिटाई देख पीड़िता भी दरिंदों को दांत काट उनके चंगुल से खुद को छुड़ाकर दोस्त के पास उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे दोस्त के पास नहीं जाने दिया गया। चलती बस में दोषी पीड़िता की इज्जत तार-तार करते रहे।

इस बीच बस 24 किमी की दूरी तय कर चुकी थी। चालक मुकेश बस को लेकर महिपालपुर रोड एनएच-8 से यू-टर्न लेकर द्वारका रूट पर गया और फिर महिपालपुर आ गया। इसके बाद होटल एरिया के सामने चलती बस से दोनों को गेट से नीचे फेंकने के बाद सभी मौके से फरार हो गए थे। कंपकंपाती ठंड में दोनों को निर्वस्त्र बस से नीचे फेंक देने पर युवती अर्धबेहोशी की हालत में पहुंच गई थी। भीषण ठंड में दोनों करीब 20 मिनट तक ठिठुरते रहे। तभी वहां से गुजर रहे इगिस कंपनी के पेट्रोलिंग ऑफिसर की नजर उन पर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इगिस कंपनी नेशनल हाईवे का सिक्योरिटी देखती है।

थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तब तक पीसीआर के पुलिसकर्मी दोनों को सफदरजंग अस्पताल पहुंचा चुके थे। पीसीआर कर्मियों ने पास के एक होटल से चादर लाकर दोनों पीड़ितों को दिया था। पीसीआर को लगा कि वह साउथ वेस्ट का इलाका है। इसलिए उन्होंने सफदरजंग अस्पताल पहुंचा दिया। अस्पताल से साढ़े 11 बजे वसंत विहार पुलिस को सूचना मिली कि इलाका उनका लगता है। तब 11.35 बजे तत्कालीन डीसीपी छाया शर्मा पूरी टीम के साथ अस्पताल पहुंच गईं। चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस की नींद उड़ गई।

डेथ वारंट की सूचना पर निर्भया के गांव वालों को मिला सुकून

जागरण संवाददाता, बलिया : निर्भया के गांव में मंगलवार को सुबह से ही लोग टीवी और मोबाइल पर पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले का इंतजार करते रहे। कोर्ट ने जब चारों दोषियों का डेथ वारंट जारी किया तो इस खबर को सुनकर गांव के सभी लोगों को सुकून मिला। गांव की युवतियों ने कहा कि देर से ही सही, फैसला उचित व सही आया। अब सभी दोषियों को फांसी होगी, इस निर्णय से गांव के लोगों की मुराद पूरी हो गई।

गांव में रह रहे निर्भया के बाबा ने कहा कि उसकी मां ने न्याय के लिए लंबा संघर्ष किया। देश में ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इस तरह के केस में त्वरित न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। वह सरकार से लेकर कोर्ट तक दौड़ कर थक गई थी। अब जब कोर्ट ने फांसी की तारीख निश्चित कर दी है तो घर के सभी लोगों को सुकून मिला है। देर भले हुई लेकिन परिवार को न्याय मिला जिसके लिए न्यायाधीश धन्यवाद के पात्र हैं। इस तरह के फैसले से समाज में अपराधियों के अंदर डर का संदेश जाएगा।

'हम सात साल से खून के आंसू रो रहे हैं'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पटियाला हाउस अदालत में बहस हो रही थी, तो दोषी मुकेश की मां झोली फैलाए अदालत में आई और क्षमा मांगी। जज ने उसे सुनने से इन्कार करते हुए बहस को जारी रखा। जब फैसला सुनाने का समय तय किया गया तो मुकेश की मां जोर-जोर से रोने लगी। तभी निर्भया की मां ने अदालत में ही कहा कि हम सात साल से खून के आंसू रो रहे हैं। इसके बाद सभी को अदालत से बाहर जाने का आदेश हुआ तो मुकेश की मां बाहर बैठकर भी रोती रही और फैसला आने के बाद तक उनका रोना जारी रहा। फैसले के बाद अदालत परिसर में तनातनी का माहौल हो गया और पुलिसकर्मी पीड़िता की मां को मीडिया की भीड़ से बचाते रहे। अदालत परिसर में भीड़ और तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था।

अकेले रखे गए गुनहगार

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

डेथ वारंट जारी होने के बाद निर्भया के दोषियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेल अधिकारियों का कहना है कि चारों दोषियों को कड़ी निगरानी वाले सेल में रखा गया है। ये अपने-अपने सेल में अकेले हैं। अब तक इनके साथ रहने वाले अन्य कैदियों को अन्य सेल में भेज दिया गया है। इनकी सुरक्षा में तमिलनाडु पुलिस का एक और एक जेल सुरक्षाकर्मी को तैनात किया गया है। जल्द ही चारों को जेल संख्या-3 में भेज दिया जाएगा। वहां फांसी घर के पास बने सेल में इन्हें रखा जाएगा। इनकी सुरक्षा के लिए जेल कर्मचारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। ये सेल से अब जब कभी बाहर निकलेंगे, इनके साथ सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे। अब रोजाना इनकी स्वास्थ्य जांच होगी, जिसकी रिपोर्ट तैयार होगी।

जेएनयू हिंसा मामले में प्रशासन गठित करेगा सुरक्षा समिति

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में रविवार को हुई हिंसक घटना के बाद प्रशासन मंगलवार को अपनी बात रखने के लिए सामने आया। विवि प्रशासन ने बताया कि मामले की विस्तृत रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल को दी गई है। बुधवार को कुलपति की मुलाकात मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों से होगी।

विवि प्रशासन ने बताया कि उनकी तरफ से एक सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति खुद से सभी पहलुओं पर रविवार की घटना की जांच करेगी। जेएनयू के कुलपति प्रो. एम.जगदीश कुमार ने कहा कि संस्थान के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा के इंतजाम रहते हैं। कैंपस की अपनी सुरक्षा व्यवस्था है और अगर कभी भी लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति बनती है तो हम तुरंत पुलिस को सूचना नहीं देते हैं। पहले देखते हैं कि क्या हमारी सुरक्षा कर्मी उसे देख सकते हैं।

सर्जिकल स्ट्राइक जैसा था हमला : जेएनयू के रेक्टर-1 चिंतामणी महापात्रा ने कहा कि रविवार को जिस तरह से नकाबपोशों ने हमला किया, उससे हम सब सन्न रह गए। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक एक दम होती है, इसी तरह से इन नकाबपोश लोगों ने जेएनयू में घुसकर हमला किया। उधर, प्रो. एम.जगदीश कुमार ने कहा कि 3 जनवरी की दोपहर को कुछ छात्र नकाब पहनकर संस्थान के डेटा सेंटर पर पहुंचे थे। उन्होने कहा कि अगर वे छात्र ठीक थे तो उन्होंने नकाब क्यों पहना हुआ था।

'फ्री कश्मीर' के पोस्टर पर भाजपा ने शिवसेना को घेरा

राज्य ब्यूरो, मुंबई

जेएनयू में हुई हिंसा के विरोध में सोमवार को मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर प्रदर्शन के दौरान एक लड़की को पोस्टर लहराते हुए देखा गया जिस पर 'फ्री कश्मीर' का नारा लिखा हुआ था। एएनआइ

जेएनयू में हिंसा के विरोध में मुंबई में प्रदर्शन के दौरान लहराए गए 'फ्री कश्मीर' पोस्टर के मुद्दे पर शिवसेना घिरती नजर आ रही है। भाजपा ने जहां उस पर हमला किया है, वहीं उसके अपने नेता बचाव की मुद्रा में आ रहे हैं। शिवसेना से दो तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। संजय राउत इसे इंटरनेट प्रतिबंध से आजादी बताया है तो आदित्य ठाकरे ने पोस्टर लहराए जाने को गलत बताया है। मुंबई की कोलाबा पुलिस ने पोस्टर लहराने वाली महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

गेट वे ऑफ इंडिया पर प्रदर्शन के दौरान एक महिला ने 'फ्री कश्मीर' लिखा पोस्टर लहराया था। इस पर हंगामा शुरू होने पर उक्त महिला का बचाव करते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कश्मीर में कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं वहां बंद हैं। कश्मीर को इन प्रतिबंधों से मुक्त कराने के भाव से ही उक्त पोस्टर लहराया गया था। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा है कि अगर कोई भारत से कश्मीर की आजादी की बात करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि शिवसेना के युवा नेता एवं राज्य सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने साफ कहा कि ऐसा पोस्टर लहराया जाना गलत है। 'फ्री कश्मीर' पोस्टर मामले का बचाव करने पर भाजपा ने शिवसेना पर और उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने शिवसेना के कार्यकर्ताओं को 'सोनिया सैनिक' बताया। नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फड़नवीस एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने सवाल किया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से सिर्फ दो किलोमीटर दूर देशविरोधी आंदोलन किया जा रहा है। क्या यह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मंजूर है? भाजपा नेता किरीट सोमैया ने फ्री पोस्टर लहराने वाली महिला के साथ ही इस आंदोलन में शामिल होने वाले राज्य सरकार के मंत्री जीतेंद्र आह्वाड के विरुद्ध कोलाबा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

मुंबई में प्रदर्शन खत्म : राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि गेटवे ऑफ इंडिया प्रदर्शन की जगह नहीं है। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से वहां से चले जाने को कहा। बाद में कुछ फिल्मी कलाकारों के वहां पहुंचने से भीड़ बढ़ी तो पुलिस ने उन्हें आजाद मैदान पहुंचा दिया। वहां कुछ देर बाद ही प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया।

हिंसा में शामिल छात्रों पर बरसे आठवले

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : जेएनयू हिंसा पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले मंगलवार को नाराज दिखे। उन्होंने पढ़ाई छोड़ कर हिंसा और आंदोलन करने वाले छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही कहा कि विवि परिसर में रोज-रोज होने वाले प्रदर्शन और आंदोलन से निपटने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को एक आचार संहिता बनानी चाहिए। उन्होंने इस बीच एक वीडियो में हिंसा के दौरान नकाब ओढ़े दिख रही विवि छात्रसंघ अध्यक्ष आइशी घोष की भूमिका की भी जांच करने की बात कही।

केंद्रीय मंत्री और आरपीआइ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आठवले ने पत्रकारों से चर्चा में जेएनयू में की गई फीस बढ़ोतरी को लेकर भी अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का मानना है कि ज्यादा फीस बढ़ाना ठीक नहीं है। इसे कम किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय में काफी गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं। इसके साथ ही उन्होंने रविवार रात को जेएनयू में हुई हिंसा को पूरी तरह से गलत बताया। कहा कि इस तरह की गुंडागर्दी ठीक नहीं है। छात्र यहां भविष्य संवारने के लिए आते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और इनमें शामिल छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वैसे विश्वविद्यालय में हिंसा के पीछे जो वजह सामने आयी है, उसमें छात्रों के एक वर्ग रजिस्ट्रेशन करना चाहता था, लेकिन एक गुट उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था।

जेएनयू हिंसा को 26/11 के हमले से जोड़ने के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान को अठावले ने पूरी तरह से गलत बताया और कहा कि यह ठीक नहीं है। छात्रों के साथ उनकी हमदर्दी तो ठीक है, लेकिन इसे 26/11 से जोड़ना ठीक नहीं है।

जेएनयू पहुंचीं दीपिका पादुकोण

नई दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंसा के बाद मंगलवार को अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी विश्वविद्यालय पहुंचीं और छात्रसंघ अध्यक्ष आइशी घोष से मुलाकात की। आइशी हिंसा में घायल हो गई थीं। एएनआइ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जेएनयू कैंपस में रविवार को हुई हिंसक घटना के विरोध में छात्रों की तरफ से आयोजित सभा में मंगलवार देर शाम बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण पहुंचीं। सीपीआइ नेता डी. राजा, जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने छात्रों को संबोधित किया। दीपिका ने छात्रों को संबोधित नहीं किया।

हालांकि संस्थान के छात्रों ने कहा कि दीपिका छात्रों का साथ देने के लिए आईं थीं और उन्होंने इस घटना का विरोध किया। सभा में छात्रों ने नारेबाजी भी की।

जेएनयू के रेक्टर-1 चिंतामणी महापात्रा ने कहा कि रविवार को जैसे ही मारपीट शुरू हुई तुरंत पुलिस को सूचित किया गया।

उन्होंने कहा कि छात्रावास की फीस बढ़ोतरी के विरोध में आंदोलन कर रहे छात्रों से निवेदन करते हैं कि वह अपनी हड़ताल को खत्म करें, क्योंकि इससे बाकी छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कैंपस में स्थिरता लाने के लिए काम किया जा रहा है। जिसके तहत प्रशासन की तरफ से सर्दियों के सेमेस्टर के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जा रहा है।

हिंसा की रिपोर्टिंग को लेकर न्यूयार्क टाइम्स पर जावडेकर ने साधा निशाना

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने न्यूयार्क टाइम्स की उस खबर के लिए आलोचना की है, जिसमें इस प्रमुख अमेरिकी अखबार ने कहा था कि जेएनयू के हमलावर जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। ट्विटर पर न्यूयार्क टाइम्स का स्क्रीन शॉट टैग करते हुए उन्होंने कहा, 'ऐसा लगता है कि इस अखबार में भगवान राम के अनन्य भक्त काम करते हैं, जो उन्हें हर जगह दिख जाते हैं।' उन्होंने यह भी कहा कि मैं पिछले सप्ताह पाकिस्तान स्थित सिखों के ऐतिहासिक ननकाना साहिब गुरुद्वारे में हुई हिंसा पर अखबार की ग्राउंड रिपोर्ट पढ़ने का इंतजार कर रहा हूं। वहां पर उन लोगों ने कौन सा नारा सुना?

उल्लेखनीय है कि अमेरिकी अखबार की आलोचना करने से एक दिन पहले जावडेकर ने ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल एक्सप्रेस पर भी निशाना साधा था। इस अखबार ने अपनी रिपोर्ट में जेएनयू में छात्रों और शिक्षकों पर हमला करने वाले नकाबपोश लोगों को राष्ट्रवादी बताया था। जावडेकर ने कहा था, 'मुझे पता है कि भारत को समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आपने कुछ प्रयास किया है। हर संभव मौके पर भारत के विभाजित होने की भविष्यवाणी करना बंद कीजिए। भारत एक विविधता वाला लोकतंत्र है और यह अपने मतभेदों को सुलझाकर हमेशा ज्यादा मजबूत होकर उभरना जानता है।'

'फ्री कश्मीर' का पोस्टर दिखाना गिने-चुने अराजक तत्वों का काम

जेएनयू में हिंसा के खिलाफ गेटवे ऑफ इंडिया पर विरोध प्रदर्शन के दौरान 'फ्री कश्मीर' के पोस्टर दिखाने को जावडेकर ने कुछ गिने-चुने अराजक तत्वों का कृत्य करार दिया। उन्होंने कहा कि समूचे देश ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का समर्थन किया है। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद शांति बहाल हुई है और क्षेत्र विकास कर रहा है।

जल्द सामने आएंगे जेएनयू हमले में शामिल नकाबपोशों के नाम : केंद्रीय मंत्री जावडेकर ने कहा कि गृह मंत्रालय ने जेएनयू हमले की जांच का आदेश दे दिया है। इसमें शामिल नकाबपोश लोगों के नाम जल्द सामने आएंगे। एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जेएनयू और देश के अन्य हिस्सों में जान-बूझकर गलतफहमी फैलाई जा रही है, ताकि हिंसा भड़काई जा सके। इसे भी उजागर किया जाएगा।

अहमदाबाद में एबीवीपी और एनएसयूआइ कार्यकर्ता भिड़े

अहमदाबाद, प्रेट्र : जेएनयू हिंसा के विरोध में प्रदर्शन के दौरान यहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआइ) के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनों तरफ के चार लोग घायल हुए हैं।

कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआइ ने शहर के पलाडी इलाके में स्थित एबीवीपी के दफ्तर के सामने इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। इसी दौरान दोनों संगठनों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात नियंत्रण में किया।

पुलिस उपायुक्त केएन दामोर ने बताया कि एबीवीपी और एनएसयूआइ दोनों के ही दो-दो कार्यकर्ता घायल हुए हैं। दोनों तरफ की शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। पुलिस से उलट दोनों ही संगठनों ने 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने का दावा किया है।

सिब्बल ने जेएनयू वीसी और दिल्ली के कमिश्नर पर लगाया हिंसा कराने का आरोप

जागरण संवाददाता, नैनीताल

प्रदर्शन के समर्थन पर मांजरेकर से योगेश्वर दत्त ने पूछे सवाल

नई दिल्ली, आइएएनएस : जेएनयू में हुई हिंसा का पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने भी निंदा की है। मांजरेकर ने जेएनयू के छात्रों के समर्थन में मुंबई में हो रहे प्रदर्शन का समर्थन किया है। मांजरेकर ने गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए प्रदर्शन के फोटो के साथ एक पोस्ट रीट्वीट किया, जिसमें लिखा था, 'शाबाश मुंबई'। इस पर ओलंपियन पहलवान योगेश्वर दत ने उसी प्रदर्शन में लहराए गए 'फ्री कश्मीर' पोस्टर के फोटो के साथ ट्वीट कर मांजरेकर से सवाल किया। उन्होंने लिखा, 'यह भी उसी प्रदर्शन की सच्चाई है। संजय मांजरेकर आपका इस बारे में क्या कहना है।'

पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने जेएनयू हिंसा पर मंगलवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की वजह से ही विश्वविद्यालयों का माहौल खराब हो रहा है। उन्हें सियासी अड्डा बनाया जा रहा है। पहले भी विश्वविद्यालय में मास्क पहनकर गुंडों ने हिंसा की, अब फिर से यह दोहराया गया। आरोप लगाया कि जेएनयू के वीसी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर की मिलीभगत से हिंसा हुई है। दोनों को बर्खास्त करना चाहिए।

सिब्बल ने कहा कि भाजपा राज में पुलिस छात्रों पर गोली चला रही है, एनकाउंटर किए जा रहें हैं, पीड़ितों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। जेएनयू में हुई घटना के लिए वीसी और पुलिस कमिश्नर दोनों जिम्मेदार हैं। दोनों को बर्खास्त किया जाना चाहिए।

सिब्बल यहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में बहस करने पहुंचे थे। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं, टुकड़े-टुकड़े गैंग वो हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जेएनयू में अराजकतत्व गेट पर सुरक्षा के बाद अंदर कैसे गए, उन्हें अंदर से किसने अनुमति दी, हिंसा होने पर वीसी ने क्या किया, एक घंटा हिंसा के बाद भी वीसी ने पुलिस, कमिश्नर और गृह मंत्री को सूचना क्यों नहीं दी। परिसर में एंबुलेंस के टायर की हवा निकाल दी गई, ताकि घायलों को अस्पताल न ले जाया जा सके। हिंसा के दौरान पुलिस तमाशबीन बनी रही। उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री, पुलिस कमिश्नर और वीसी ने ही हिंसा की साजिश रची।